हुक्म की तामील में जारी हुए

तेजराम -5-15 पत्रावली आज लोक अदालत मे कैम्प कुनकटा कला पर पेश हुई। पक्षकारो ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि खसरा नं० 287, 288 ग्राम कुनकटा कलॉ का टीम गठीत कर पक्षकारो को सीमा ज्ञान करा दिया जावे। वादी की जमीन मे यदि तेजू का मकान बना हुआ पाया जावे तो तेजु वादी मूड्या को जमीन के बदले जमीन दे देगा या जमीन की कीमत दे देगा। आज वादी अपना मुकदमा वापिस लेता है।

महेश

मूड्या

तेजराम

पक्षकारो को सुना गया। राजीनामे के अनुसार वादी का दावा अनुमत दी जाती है। एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देश दिया जाता है कि भूमि ख०नं० 287, 288 ग्राम कुनकटा कलॉ का नायब तहसीलदार तलावडा के नेतृत्व मे टीम गठित कर सीमा ज्ञान करा देवे। वादी की जमीन मे यदि तेजु का मकान बना हुआ पाया जावे तो तेजू वादी मूड्या को या तो जमीन बदले जमीन दे देगा या जमीन की कीमत दे देगा।

रामराज

मुकेश

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
कैम्प कुनकटा कलां
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
कैम्प कुनकटा कलां

...ओर ...पेश ...जाकर ...नं० ...को

1174 ...
17/6/15

डिक्री
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी-: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. मूडया पुत्र घमंडी, माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. तेजू पुत्र नैना माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
2. महेश पुत्र नैना माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
3. गिरधारी पुत्र घमंडी माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
4. सीताराम पुत्र घमंडी माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
5. रामचरण पुत्र घमंडी माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
6. रामराज पुत्र घमंडी माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
7. रामोती पुत्री घमंडी माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
8. धापा बेबा कल्ला माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
9. रामकिशोर पुत्र कल्ला माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
10. मुकेश पुत्र कल्ला माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी
11. पप्पी पुत्री कल्ला माली निवासी ग्राम कुनकटा तह. गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 36/2014

वादी की ओर से वादी मूडया की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी तेजू, गिरधारी, सीताराम वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 19.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देश दिया जाता है कि भूमि ख0न0 287, 288 ग्राम कुनकटा कलॉ का नायब तहसीलदार तलावडा के नेतृत्व मे टीम गठित कर सीमाज्ञान करा देवे। वादी की जमीन मे यदि तेजू का मकान बना हुआ पाया जावे तो तेजू वादी मूडया को या तो जमीन बदले जमीन दे देगा या जमीन की कीमत दे देगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (स0मा0))

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

(मुहर: उप जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी)
कैम्प कुनकटा कलॉ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

गिरधारी
मूडया

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- कुनकटाकलां

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 19-5-2015

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

मूड्या बनाम तेजू वगैरा

प्रकरण संख्या :- 36/2014 अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री मूड्या पुत्र घमन्डी, माली, कुनकटाकलां ...न है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ...एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

भूमि ख०नं० 286, 287 ग्राम कुनकटाकलां का टीम गठित कर पक्षकारों को सीमाज्ञान करा दिया जावे। यदि वादी की जमीन में यदि तेजू का मकान बना हुआ पाया जावे तो तेजू वादी मूड्या को या तो जमीन के बदले जमीन दे देगा या जमीन की कीमत दे देगा। आज मैं वादी अपना मुकदमा वापस लेता हूं। ख०नं० 286, 287 की नाप टीम गठित कर करवा दी जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

...पक्ष
1. मूड्या पुत्र घमंडी
2. माली, कुनकटाकलां
3. पहचानकर्ता
4. Mayank

निशानी अंगूठा मूड्या

ग्राम पंचायत कुनकटा कलाँ पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रधानाचार्य
राजकीय ... मिक विद्यालय
कुनकटा कलां (स०मा०)

प्रतिवादी पक्ष
1. तेजू पुत्र जैना, माली, कुनकटा — तेजाराम
2. (2) गिरधारी S/O घमण्डी
3. (3) सीताराम पुत्र घमण्डी — Mayank
4. निशानी ...
(4) रामचरण पुत्र घमण्डी — नि० राम...
(5) रामचरण पुत्र घमण्डी ...

...कर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(...क्ष) नाम .... प्रतिपक्षकार ... (6) मुकेश ... कुनकटाकलां ... मुकेश

प्रधानाचार्य
राजकीय ... विद्यालय

प्रार्थी/वादी .... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी .... Mayank
.... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ...किया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

...(सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(सुमित ... 2015)
अध्यक्ष
(लोक अदालत)
गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी
कैम्प कुनकटाकलां

सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
कैम्प-कुनकटा कलां

...मामें वाद पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-